झारखण्ड सरकार,

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची–834010

e-mail- jharkhand_ssc@rediffmail.com

विवरणिका

विज्ञापन संख्या– 05/2017

{गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार के अन्तर्गत महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, झारखण्ड के अधीन जिला/इकाई के पुलिस अवर निरीक्षक, विशेष शाखा के पुलिस अवर निरीक्षक तथा जिला/इकाई के प्रारक्ष अवर निरीक्षक (परिचारी) के पदों पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा–2017}

झारखण्ड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक प्रतियोगिता परीक्षा– 2017

Jharkhand Combined Police Sub Inspector Competitive Examination-2017

{JCPSICE-2017}

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–11/क॰च॰आ॰–02–06/2014का॰–5194 (अनु॰) दिनांक– 06.04.2017, पत्रांक–11/क॰च॰आ॰–02–06/2014 (खण्ड) का॰–7548/(अनु॰) दिनांक– 28.06.2017 एवं पत्रांक–11/क॰च॰आ॰–02–06/2014 (खण्ड–2) का॰–8041/(अनु॰) दिनांक– 13.07.2017 के द्वारा संसूचित रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति के लिए सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन हेतु विहित प्रपत्र में झारखण्ड पुलिस अवर निरीक्षक प्रतियोगिता परीक्षा–2017 के लिये **ऑनलाईन (Online)** आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाते हैं। उम्मीदवार यथा निर्धारित अर्हता अनुसार रिक्तियों के विरूद्ध आवेदन दे सकते है। ऑनलाईन (Online) आवेदन आयोग के अधिकृत वेबसाईट–www.jssc.in अथवा www.jssc.nic.in पर लॉगईन (Login) करके समर्पित किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति सेवा/संवर्ग मे तबतक नियुक्त नहीं किया जायेगा जबतक वह :–

(क) भारत संघ का नागरिक न हो।

(ख) सच्चरित्र न हो।

2. रिक्तियों की विवरणी :–

पदनाम	कुल रिक्ति	वर्गवार रिक्ति	कुल रिक्तियों में क्षैतिज आरक्षण (महिला)
जिला/इकाई के पुलिस अवर निरीक्षक	2483	अनारक्षित –1274	124
		अनु0जाति–218	
		अनु0 जन जाति–684	
		अ0 पिछड़ा वर्ग (अनु0–1)–166	
		पिछड़ा वर्ग (अनु0–2)–141	
विशेष शाखा के पुलिस अवर निरीक्षक	488	अनारक्षित –244	24
		अनु0जाति–49	
		अनु0 जन जाति–127	
		अ0 पिछड़ा वर्ग (अनु0–1)–39	
		पिछड़ा वर्ग (अनु0–2)–29	
जिला–इकाई के प्रारक्ष अवर निरीक्षक (परिचारी)	48	अनारक्षित –25	02
		अनु0जाति–05	
		अनु0 जन जाति–12	
		अ0 पिछड़ा वर्ग (अनु0–1)–04	
		पिछड़ा वर्ग (अनु0–2)–02	

टिप्पणी :– (i) जिला/इकाई के पुलिस अवर निरीक्षक अनुसूचित जन जाति की कुल 684 रिक्तियों में 2% अर्थात 14 पद आदिम जन जातियों के लिये क्षैतिज रूप से आरक्षित रहेंगे। आदिम जन जाति के

योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उनके लिए रिक्त कर्णाकित पद अ0ज0जाति के योग्य अभ्यर्थियों से भरे जा सकेंगे।

(ii) विशेष शाखा के पुलिस अवर निरीक्षक अनुसूचित जन जाति की कुल 127 रिक्तियों में 2% अर्थात 03 पद आदिम जन जातियों के लिये क्षैतिज रूप से आरक्षित रहेंगे। आदिम जन जाति के योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उनके लिए रिक्त कर्णाकित पद अ0ज0जाति के योग्य अभ्यर्थियों से भरे जा सकेंगे।

(iii) जिला–इकाई के प्रारक्ष अवर निरीक्षक (परिचारी) अनुसूचित जन जाति की कुल 12 रिक्तियों में 2% अर्थात 01 पद आदिम जन जातियों के लिये क्षैतिज रूप से आरक्षित रहेंगे। आदिम जन जाति के योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उनके लिए रिक्त कर्णाकित पद अ0ज0जाति के योग्य अभ्यर्थियों से भरे जा सकेंगे।

3. परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्त्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग परीक्षा के बाद अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय अभ्यर्थियों की पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच करेगा। प्रमाण पत्र जाँच के पश्चात अभ्यर्थी की पात्रता के बिन्दु पर अंतिम निर्णय हो सकेगा। **किसी भी समय पात्रता पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थियों का आवेदन/अभ्यर्थिता रद्द किया जा सकता है।**

4. कंडिका– 2 में वर्णित पद का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नवत् हैः–

क्रम सं०	**पदनाम**	**वेतनमान**	**न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता(आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को)**
1	**2**	**3**	**4**
1	जिला–इकाई के पुलिस अवर निरीक्षक/ विशेष शाखा के पुलिस अवर निरीक्षक/ जिला–इकाई के प्रारक्ष अवर निरीक्षक (परिचारी)	वेतन बैंड पी0बी0II– रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन–रू04200/– (छठा वेतनमान)	केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक की डिग्री।

5. शारीरिक मापदण्डः–

क्रमांक	**आरक्षण वर्ग**	**ऊँचाई (सें०मी०)**	**सीना(सें०मी०)**
1.	अनारक्षित/पिछड़ावर्ग/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	न्यूनतम 160	न्यूनतम 81
2.	अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति	न्यूनतम 155	न्यूनतम 79
3.	महिला (सभी कोटि)	न्यूनतम 148	––––

नोट : शारीरिक रूप से अशक्त अथवा विकृत अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

6. <u>आयु सीमा</u>:—उम्र की गणना दिनांक 01.08.2017 के आधार पर की जायेगी।

क्रम संख्या	**वर्ग**	**न्युनतम उम्र**	**अधिकतम उम्र**
1.	अनारक्षित / सामान्य	21 वर्ष	26 वर्ष
2.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची—1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची—2)	21 वर्ष	28 वर्ष
3.	अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति	21 वर्ष	30 वर्ष

7. <u>आरक्षण</u>:—

(I) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(II) आरक्षण का लाभ एवं अधिकतम उम्र सीमा (25 वर्ष) में छूट का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी यथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनु0—1), पिछड़ा वर्ग (अनु0—2) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को देय होगा। झारखण्ड राज्य के बाहर के सभी उम्मीदवार अनारक्षित / सामान्य वर्ग के माने जायेंगे।

(III) आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे।आरक्षण का दावा करने वाले झारखण्ड के स्थानीय निवासी उम्मीदवार को निम्न प्रमाण—पत्र का विवरण ऑन—लाईन आवेदन पत्र में देना अनिवार्य होगा एवं आयोग द्वारा प्रमाण—पत्रों की जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा:—

(i) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र—जिला / अनुमंडल के उपायुक्त / अनुमण्डल पदाधिकारी से विहित—प्रपत्र **<u>परिशिष्ट—I पर अंकित प्रपत्र</u>** में अथवा प्रज्ञा केन्द्र द्वारा कम्प्यूटर जनित प्रमाण पत्र।

(ii) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची—1) एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची—2 के लिए जाति प्रमाण पत्र **<u>परिशिष्ट—II पर अंकित प्रपत्र</u>** में अथवा प्रज्ञा केन्द्र द्वारा कम्प्यूटर जनित प्रमाण पत्र।

(iii) अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए झारखण्ड का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र **<u>परिशिष्ट—III पर अंकित प्रपत्र</u>** में अथवा प्रज्ञा केन्द्र द्वारा कम्प्यूटर जनित प्रमाण पत्र।

(iv) आवेदक उपर्युक्त प्रपत्रों में अनुमंडल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही ऑन लाईन आवेदन पत्र भरना सुनिश्चित करे तथा ऑन लाईन आवेदन प्रपत्र में यथा स्थान अपने जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की संख्या एवं निर्गम तिथि दर्ज करें। उक्त प्रमाण पत्रों की मांग / जाँच आयोग आवश्यकतानुसार कभी भी कर सकता है।

(v) सक्षम स्तर से भिन्न स्तर एवं विवरणिका के परिशिष्ट—I, परिशिष्ट—II एवं परिशिष्ट—III पर अंकित प्रपत्र अथवा प्रज्ञा केन्द्र द्वारा कम्प्यूटर जनित प्रमाण पत्र से भिन्न प्रपत्र में अथवा अनुमंडल पदाधिकारी से न्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र / स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा तथा ऐसे प्रमाण पत्रों के आधार पर भरे गये आवेदन पत्र नियुक्ति

प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर आरक्षण के लाभ से वंचित कर दिया जायेगा अथवा उनके आवेदन पत्र रद्द किये जा सकते है, जिसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं उतरदायी होगे।

8. तीनो पदों के लिए एक ही ऑन–लाईन आवेदन समर्पित किया जा सकता है एवं एक ही परीक्षा शुल्क देय होगा। ऑन–लाईन आवेदन में पदों के लिए अधिमानता (prefrence) क्रम में अभ्यर्थी अपना विकल्प दे सकेंगे तथा तीनो पदों का विकल्प इच्छानुसार दिया जाना आवश्यक होगा। अधिमानता क्रम में विकल्प देने की सुविधा ऑन–लाईन आवेदन में उपलब्ध रहेगी।

तीनो पदों पर चयन मेधा–सह– विकल्प के आधार पर किया जायेगा।

9. ON LINE **आवेदन पत्र को भरना एवं Submit करना**:–ऑन–लाईन आवेदन को भरने के लिए दिए गये दिशा निदेश का अक्षरशः पालन करें। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को जमा (Submit) करें। आवेदन पत्र भरने के लिए आयोग के वेवसाईट www.jssc.in अथवा www.jssc.nic.in पर जाएँ एंव Online Application for JCPSICE-2017 पर Click करें तथा आवेदन पत्र भरें।

शैक्षणित योग्यता एवं आरक्षण का दावा के संबंध में अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो ले कि आवेदन की तिथि तक वे आवश्यक अहर्त्ता पूर्ण करते हैं एंव एतत् संबंधी वांछित प्रमाण–पत्र उनके पास उपलब्ध है।

आवेदकों को सूचित किया जाता है कि आवेदन Submit **करने के पूर्व भरे गये आवेदन को ठीक से देख लें। यदि कोई त्रुटि है तो उसे सुधार कर ही आवेदन** Submit **करें। एक बार आवेदन** Submit **करने के पश्चात् परीक्षाफल को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रविष्टि में सुधार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और भरे गये आवेदन के आधार पर ही आवेदक की परीक्षा ली जायेगी।**

अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि Online आवेदन फार्म भरने के पूर्व में आयोग के अधिकृत वेबसाइड से परीक्षा की विवरणिका Download करने के पश्चात् ही फार्म भरें वाह्य स्त्रोत से उपलब्ध विवरणिका के आधार पर फार्म भरने में यदि कोई त्रुटि होती है तो आवेदक स्वयं इसके लिए जिम्मेवार होंगे।

10. ऑनलाईन (Online)आवेदन को भरने के लिए दिशा निदेश :–

(I) आवेदक अपने नाम की वर्त्तनी (spelling) वही लिखेंगे जो मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित है। सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गये नाम की वर्त्तनी (spelling) में अंतर नहीं होना चाहिये। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे श्री/मिस्टर/श्रीमान् आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाय।

(II) आवेदक के मैट्रिक सर्टिफिकेट/अंक पत्र में जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा– तिथि, महीना और वर्ष है, वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर लिखेंगे।

(III) **आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग के अधिकृत वेवसाईट www.jssc.in अथवा www.jssc.nic.in पर जाएँ एवं Online Application for JCPSICE–2017 को Click करें। तत्पश्चात अपना पंजीकरण (Registration) करें। पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होते ही आपके मोबाईल फोन एवं ईमेल पर पंजीकरण**

संख्या एवं पासवर्ड आ जायेगा। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड को नोटकर सुरक्षित रखें क्योंकि भविष्य में लॉग–इन करने के लिए इन दोनों की आवश्यकता होगी। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड प्राप्त होते ही आप पुनः लॉग–इन करें अथवा Proceed पर क्लिक कर आप अपने बारे में विस्तृत सूचना भरें। ऑनलाईन आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ को Save and Next करने के पश्चात् अगले पृष्ठ की सूचना भरा जाना आवश्यक है अन्यथा भरे गये आवेदन का प्रिंटआऊट नहीं निकल पायेगा। जिस तिथि को आप यह कार्य पूरा कर लेते हैं उसकी अगली तिथि को 12.00 बजे मध्याह्न के पश्चात पुनः लॉगिन करें एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दें। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के अगले दिन अपराह्न 02:00 बजे के पश्चात पुनः लॉगिन कर अपना स्कैन (Scanned) किया हुआ रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड कर दें तथा भरे हुए आवेदन का प्रिंटआउट अवश्य लें एवं उसे सुरक्षित रखें।

आवेदन पत्र में सभी सूचनाएँ भरा जाना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन Online Submit नहीं हो पायेगा।.ऑन–लाईन आवेदन भरने के लिए लिंक दिनांक 15.07.2017 के 11.00 बजे पूर्वाहन् से उपलब्ध होगा तथा आवेदन को भेजने (Submit) करने की अन्तिम तिथि दिनांक 13.08.2017 संध्या 05.00 बजे तक है। दिनांक– 13.08.2017 के बाद दिनांक 16.08.2017 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध होगा। दिनांक 13.08.2017 के बाद **परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए पुनः login करें तथा make payment पर क्लिक करें। एक नया पेज खुल जायेगा जिसमें Term & Condition को टिक (✓) कर Proceed बटन दबाकर आगे बढ़ें। एक नया पेज खुल जायेगा जिसमें Select Payment Category के सामने JCPSICE-2017 Select करें तथा अपना Registration Number डालकर अपना परीक्षा शुल्क का भुगतान करें। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के अगले दिन अपराह्न 02:00 बजे के पश्चात पुनः लॉगिन कर अपना स्कैन (Scanned) किया हुआ रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड कर दें तथा भरे हुए आवेदन का प्रिंटआउट अवश्य लें एवं उसे सुरक्षित रखें।**

11. <u>परीक्षा का स्वरूप</u> :–आयोग द्वारा कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) लिया जायेगा किसी तथा एक पत्र की परीक्षा यदि विभिन्न समूहो में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का normalisation किया जायेगा। Normalisation का सूत्र अलग से आयोग के वेवसाईट पर प्रकाशित रहेगा। प्रारम्भिक परीक्षा में मेधा सूची अभ्यर्थियों के प्राप्तांक के normalised अंक के आधार पर तैयार किया जायेगा। मुख्य परीक्षा में जिन पत्र/पत्रों में अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का normalisation किया जायेगा उन पत्र/पत्रों के normalised अंक तथा जिन पत्र/पत्रों में अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का normalisation नहीं किया जायेगा उन पत्र/पत्रों के प्राप्तांक को जोड़ कर यथा अग्रगामी कंडिकाओं की शर्त्तों के अधीन मेधा सूची तैयार की जायेगी। मेधा सूची जिस पद्धति से तैयार की जायेगी उसी रूप में अभ्यर्थियों का प्राप्तांक प्रकाशित किया जायेगा। परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार होगा।

1. **परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम** :– परीक्षा चार चरणों में ली जायेगी –

(क) प्रारम्भिक परीक्षा

(ख) मुख्य परीक्षा
(ग) शारीरिक जाँच
(घ) चिकित्सीय परीक्षा

प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा कम्प्यूटर आधारित परीक्षा होगी। दोनो परीक्षाओं में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 (तीन) होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 (तीन) अंक दिए जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 (एक) अंक की कटौती की जायेगी।

भाषेत्तर विषयों को छोड़कर प्रश्न हिन्दी एव अग्रेंजी भाषा में होंगे। प्रश्नों का स्तर स्नातक स्तर का होगा।

क. प्रारम्भिक परीक्षा :–

(i) प्रारम्भिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा।

पत्र – सामान्य ज्ञान (कुल प्रश्न – 120, परीक्षा अवधि – 2 घंटा)

सामान्य अध्ययन	–	30 प्रश्न
झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान	–	30 प्रश्न
सामान्य गणित	–	20 प्रश्न
सामान्य विज्ञान	–	20 प्रश्न
मानसिक क्षमता जाँच	–	20 प्रश्न
कुल	–	**120 प्रश्न**

II. प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम :–

पत्र – सामान्य ज्ञान

(क) सामान्य अध्ययनः–

इसमें प्रश्न का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन–प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सम–सामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल–खिलाड़ी, महत्त्वपूर्ण घटनाएँ। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षिय योजना। झारखण्ड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी।

(ख) सामान्य विज्ञानः–

सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन–प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे। जैसा कि एक

सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

(ग) सामान्य गणितः—

इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक/10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे।

(घ) मानसिक क्षमता जाँचः—

इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनो प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं — सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि।

(ङ) झारखण्ड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता संस्कृति, भाषा—साहित्य, स्थान, खान खनिज, उधोग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखण्ड का योगदान, विकास योजनाऐं, खेल—खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियाँ, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि।

III. प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के पाँच गुणा अभ्यर्थियों का चयन, मुख्य परीक्षा के लिए, प्रारम्भिक परीक्षा की मेधा सूची के अनुसार किया जायेगा जिसमें उपलब्धता के आधार पर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आरक्षित पदों की संख्या के पाँच गुणा आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हों।

एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks)रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हे अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके नाम के अंग्रेजी वर्त्तनी (Spelling)के वर्णक्रम के अनुसार मेधा का निर्धारण किया जायेगा और इसके निर्धारण के लिये आवेदन में अंकित अंग्रेजी में लिखे गये नाम को आधार माना जायेगा।

(ख) मुख्य परीक्षा :—

I- मुख्य परीक्षा के लिए तीन पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, इसमें निम्न विषय रहेंगेः—

पत्र—1 (भाषा ज्ञान)—

हिन्दी भाषा ज्ञान	—	60 प्रश्न
अंग्रेजी भाषा ज्ञान	—	60 प्रश्न
कुल	—	**120 प्रश्न**

इस पत्र में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनो भाषाओं के अनुच्छेद आधारित 20 प्रश्न तथा व्याकरण आधारित 40 प्रश्न रहेंगे।

इस पत्र की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30 प्रतिशत अर्हतांक निर्धारित रहेगा। प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जायेगा।

टिप्पणीः— पत्र—1 (भाषा ज्ञान) की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30% (तीस प्रतिशत) होगा। न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल/अयोग्य माने जायेंगे तथा ऐसे अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र—2 एवं 3 का मूल्यांकण नहीं किया जायेगा। 30 प्रतिशत अंक से अधिक प्राप्तांक को कुल प्राप्तांक में नहीं जोड़ा जाऐगा। अर्थात् इस विषय की परीक्षा क्वालिफाईग प्रकृति की होगी।

पत्र—2

हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी(मुण्डा)/हो/खड़िया/कुडूख (उराँव)/कुरमाली/खोरठा/नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़िया/संस्कृत में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जायेंगे।

पत्र —3

सामान्य अध्ययन	—	30 प्रश्न
झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान	—	40 प्रश्न
सामान्य विज्ञान	—	20 प्रश्न
सामान्य गणित	—	20 प्रश्न
मानसिक क्षमता जाँच	—	20 प्रश्न
कम्प्यूटर का ज्ञान	—	20 प्रश्न
कुल	—	**150 प्रश्न**

II- मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम— यथा परिशिष्ट— IV

(**III**) परीक्षा में सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या—13026, दिनांक— 27.11.2012 के आलोक में निम्न प्रकार से निर्धारित रहेगा।

समान्य	**—40 प्रतिशत**
पिछड़ा वर्ग (अनु0—2)	**—36.5 प्रतिशत**
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनु0—1)	**—34 प्रतिशत**
अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/ महिला वर्ग (झारखण्ड के स्थानीय निवासी)	**—32 प्रतिशत**

न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य होंगे एवं उन्हे मेधा सूची में स्थान नहीं दिया जायेगा।

(**IV**) कम्प्यूटर आधारित मुख्य परीक्षा में सम्मिलित एवं न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त अभ्यर्थियों की मेधा सूची बनायी जायेगी एवं उक्त मेधा सूची से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए रिक्तियों की संख्या के 03 गुणा संख्या में अभ्यर्थियों का कोटिवार चयन कर

शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जायेगी। आवश्यकतानुसार मेधा सूची से बचे हुए अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा करायी जा सकेगी।

मेधा–सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks)रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। दो या अधिक अभ्यर्थियों का प्राप्तांक एवं जन्म तिथि समान होने की स्थिति में मेधा का निर्धारण अभ्यर्थी की ऊँचाई के घटते क्रमानुसार निर्धारित होगी।

(ग) शारीरिक दक्षता परीक्षा :–

शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों की यथा कंडिका–5 में वर्णित मापदण्ड के अनुसार ऊँचाई एवं सीने की माप की जायेगी एवं अपेक्षित मापदण्ड पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए निम्न निर्धारित समय–सीमा के अंतर्गत अपेक्षित दूरी की दौड़ पूर्ण करनी होगीः–

(i) पुरूषों के लिए – 60 मिनट में 10 कि0मी0 की दौड़।

(ii) महिलाओं के लिए – 40 मिनट में 05 कि0मी0 की दौड़।

नोट–1 :–शारीरिक दक्षता परीक्षा में कोई अंक देय नहीं होगा, किन्तु इसमें सफल होना अनिवार्य है। यह परीक्षा क्वालिफाईंग (Qualifying) प्रकृति का होगा।

(घ) चिकित्सीय जाँच परीक्षा :– कम्प्यूटर आधारित मुख्य परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का चिकित्सीय परीक्षण राजेन्द्र आर्युविज्ञान संस्थान, राँची द्वारा गठित चिकित्सा पर्षद के माध्यम से आयोजित कराई जायेगी तथा इसमें सफल होना आवश्यक है अन्यथा चयन हेतु मेधा सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

अभ्यर्थियों के शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्पीत शिरा, ऊँगलियों का उचित ढंग से नहीं घुमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाईंडनेश/नाईट ब्लाईंडनेश श्रवण शक्ति, हकलाहट, बेरिसोशील/हाईड्रोशील/पाईल्स एवं अन्य संक्रामक शारीरिक/मानसिक बीमारी आदि की चिकित्सीय परीक्षण की जायेगी एवं ऐसा कोई दोष पाए जाने पर अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य होंगे।

12. प्रमाण पत्रों की सत्यापन एवं पात्रता की सम्पुष्टि–

(i) शारीरिक दक्षता परीक्षा तथा चिकित्सीय जाँच परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा में कंडिका–11 (ख) **I** की टिप्पणी के अधीन प्रश्न पत्र 2 एवं 3 के विषय के प्राप्तांक के आधार पर मेधा–सूची प्रारूप गठित करने के पश्चात् यथा समय अपेक्षित संख्या में अपनी सुविधा के अनुसार आयोग के द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के सहयोग से प्रमाण पत्रों की जांच करायी जायेगी एवं अभ्यर्थियों की पात्रता की सम्पुष्टि की जायेगी।

प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में यदि किसी कोटि के उम्मीदवार के दावों का सत्यापन नहीं हो पाता है और उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाती है, **तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कोटि में रिक्त पदों की उपलब्धता के आलोक में मेधा सूची से**

क्रम के अनुसार उम्मीदवारों को प्रमाण–पत्रों के जाँच के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

चयन हेतु मेधा सूची का गठन :–

(i) शारीरिक दक्षता परीक्षा तथा चिकित्सीय जाँच परीक्षा में सफल तथा प्रमाण पत्रों की सत्यापन एवं पात्रता की सम्पुष्टि के उपरान्त अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा में कंडिका–10 की टिप्पणी के अधीन प्रश्न पत्र 2 एवं 3 के विषय के प्राप्तांक के आधार पर सामान्य मेधा–सूची (Common Merit List) का गठन किया जायेगा। तैयार की गयी मेधा सूची से कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार आरक्षण संबंधी नियमो का पालन करते हुए अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।

(ii) मेधा–सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks)रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। दो या अधिक अभ्यर्थियों का प्राप्तांक एवं जन्म तिथि समान होने की स्थिति में मेधा का निर्धारण अभ्यर्थी की ऊँचाई के घटते क्रमानुसार निर्धारित होगी।

(iii) मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिये तैयार मेधा सूची में समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरूद्ध की जायेगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी वही होगा। इस सम्बन्ध में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन किया जायेगा।

13. परीक्षा शुल्कः–

परीक्षा शुल्क रू॰ 460 (चार सौ साठ रूपये) है।

परीक्षाशुल्क में छूटः–झारखण्डराज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू॰ 115 (एक सौ पन्द्रह रूपये) है। झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जा सकेगें। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।

परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को बैंक चार्ज के रूप में निम्नवत राशि का भुगतान भी करना होगाः–

(क) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं इसके सहयोगी बैंको के नेट बैंकिग एवं डेबिट कार्ड द्वारा परीक्षा शुल्क भुगतान करने पर अतिरिक्त देय राशि रू॰ 11.40।

(ख) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा अन्य बैंको के नेट बैंकिग से परीक्षा शुल्क भुगतान करने पर अतिरिक्त देय राशि रू॰ 17.10।

(ग) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा अन्य बैंको के डेबिट कार्ड एवं किसी भी क्रेडिट कार्ड से परीक्षा शुल्क भुगतान करने पर अतिरिक्त देय राशि रू॰ 12.54।

(घ) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांच में चालान के द्वारा परीक्षा शुल्क भुगतान करने पर अतिरिक्त देय राशि रू० 57.00।

14. नियुक्तिः—

(i) परीक्षा में सफलता सेवा पदों पर नियुक्ति के लिये कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा, जब तक झारखण्ड सरकार का, ऐसी जांच के पश्चात्, जो आवश्यक समझी जाय, समाधान नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी लोक सेवा में नियुक्ति के लिये अपने चरित्र और पूर्व वृत्त के सम्बन्ध में सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(ii) सेवा में नियुक्तियाँ समय—समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची—1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची—2), के लिये सेवा में विशेष प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में आदेशों के अध्यधीन होगी।

15. अन्यान्यः—

1. अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए कम्प्यूटर आधारित परीक्षा से अवगत होने के लिए मॉक टेस्ट की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। मॉक टेस्ट के लिए लिंक दिनांक— 21.07.2017 से उपलब्ध रहेगा। मॉक टेस्ट के लिंक पर क्लिक करने के पश्चात अभ्यर्थियों का लॉगिन आई0डी0, पासवर्ड तथा पिन नंबर मिलेगा उसके नीचे proceed बटन क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा। इस पेज में लॉगिन आई0डी0, पासवर्ड तथा पिन नंबर डालने के बाद मॉक टेस्ट के पेज खुल जायेगा जिस पर अभ्यर्थी मॉक टेस्ट देकर परीक्षा पद्धति से अवगत हो सकते हैं।

2. आयोग द्वारा परीक्षाओं के संचालन के अवसर पर झारखण्ड परीक्षा संचालन अधिनियम, 2001 के प्रावधान प्रभावी होगा।

3. आवेदन में अंकित सूचनाओं एवं प्रविशिष्ठयों की पूर्ण जिम्मेवारी आवेदक की होगी तथा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।

4. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के विषय पर अभ्यर्थी/उनके माता—पिता/अभिभावक द्वाराः—

(i) आवेदन प्रपत्र में गलत सूचना देने/गलत प्रमाण पत्र समर्पित करने/जालसाजी,

(ii) परीक्षा के दौरान अवैध तरीका अपनाने/नकल करने/फर्जी अभ्यर्थी को अपनी जगह पर परीक्षा में बैठाने/कदाचार करने में लिप्त पाये जाने,

(iii) प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच के अवसर पर आयोजित काउन्सेलिंग (Counselling) के दौरान फर्जी प्रमाण—पत्रों/फर्जी पहचान के आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में स्थान पा जाने की स्थिति में वे निम्न दण्ड के भागी होंगे :—

(क) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी।

(ख) अभ्यर्थी को आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेने के लिये अगले 2 वर्षों के लिये वंचित कर दिया जायेगा।

(ग) अपराधिक घटना की स्थिति में अभ्यर्थी/उनके माता—पिता/अभिभावक यथास्थिति जो भी उत्तरदायी हो, के विरूद्ध विधि के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

4. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की आवेदन पत्र/उम्मीदवारी निम्न अवस्थाओं में रद्द किया जा सकेगा :–

(i) अभ्यर्थी की उम्र परीक्षा में भाग लेने के लिये निर्धारित उम्र सीमा में नहीं होना।

(ii) शैक्षणिक योग्यता सहित निर्धारित अर्हताओं को पूरा नहीं करना।

(iii) निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना।

(iv) प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर उम्मीदवारी के समर्थन में आवश्यक अर्हताओं से सम्बन्धित यथा निर्धारित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत नहीं करना।

(v) आयोग की परीक्षा में नकल करना।

(vi) आयोग की परीक्षा में अपने बदले किसी अन्य व्यक्ति को फर्जी ढंग से शामिल करना।

(vii) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में गलत तथ्य देकर परीक्षा में शामिल होने का अधिकार पा जाना, जो किसी भी समय प्रमाणित हो। इस विषय पर आयोग को निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(viii) आयोग की परीक्षा में शामिल होने के लिये प्रवेश पत्र जारी होना अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को संरक्षित नहीं कर सकेगा।

(ix) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द करने के विषय पर निर्णय लेने के पूर्व उसे अपना पक्ष रखने के लिये समुचित अवसर दिया जायेगा तथा पूरे मामले पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त आयोग विधिसम्मत निर्णय लेगा।

(x) उम्मीदवारी को रद्द करने के विषय पर निर्णय की जानकारी अभ्यर्थी को यथासमय दी जायेगी।

(xi) परीक्षाफल प्रकाशन होने के 7 दिनों के अन्दर कोई भी परीक्षार्थी विहित प्रपत्र में निर्धारित शुल्क के साथ पुर्नमूल्यांकन के लिए आवेदन दे सकेगा। इसका यथाशीघ्र निष्पादन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षार्थी को सूचित किया जायेगा।

(xii) किसी परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों द्वारा सामूहिक नकल/कदाचार किये जाने की शिकायत होने और जाँच में इसे प्रमाणित पाये जाने पर उक्त परीक्षा केन्द्र पर संपादित परीक्षा को रद्‌द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। परीक्षा रद्‌द होने की स्थिति में पुनः उसकी परीक्षा नहीं ली जायेगी।

(xiii) परीक्षा की अवधि में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा प्रारम्भ होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

(xiv) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि Online भरा हुआ आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व उसे एक बार भली भांति जाँच ले ताकि कोई त्रुटि न रह जाये।

(xv) वैसे अभ्यर्थी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हे संघ लोक सेवा आयोग/झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(xvi) परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाइल फोन, पेजर, Bluetooth आदि अथवा इस प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रोनिक उपकरण ले जाना वर्जित होगा। परीक्षा केन्द्र के अन्दर किसी प्रकार का इलैक्टोनिक उपकरण पाये जाने पर उस अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाऐगी।

अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि परीक्षा में उपयोग होने वाले वस्तुओं को ही ले जाँय। परीक्षा केन्द्र परिसर में शांति एवं अनुशासन बनाये रखना परीक्षार्थियों का दायित्व होगा।

(xvii) प्रवेश पत्र (Admit Card) आयोग के Website पर Upload होगा जिसे अभ्यर्थी Download कर परीक्षा में शामिल होंगे। प्रवेश पत्र (Admit Card) डाक से अलग से नहीं भेजा जायेगा। बिना प्रवेश पत्र (Admit Card) के परीक्षा में बैठने की अनुमति नही दी जायेगी।

प्रवेश पत्र (Admit Card) में किसी प्रविष्टि अथवा फोटो में त्रुटि हो तो अभ्यर्थी संबंधित परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राधीक्षक को आवेदन देकर परीक्षा में शामिल हो सकेगें तथा आवेदन के साथ स्वःप्रमाणित प्रवेश पत्र (Admit Card) एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र की प्रति देना अनिवार्य होगा। साथ ही फोटो पहचान पत्र मूल में अभ्यर्थी को परीक्षा अवधि में अपने साथ रखना होगा।

(xxi) परीक्षा से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेवसाईट पर दिया जायेगा।

(xxii) परीक्षा सिर्फ झारखण्ड में अवस्थित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। मुख्य परीक्षा सिर्फ राँची में आयोजित की जायेगी।

(xxiii) Onlineदिये गये आवेदन एवं परीक्षा शुल्क की भुगतान से संबंधित बैंक चालान की प्रति परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्गत प्रवेश पत्र (Admit Card) की प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेगें। इन कागजातो की आवश्यकता भविष्य में आ सकती है। प्रमाण पत्रों के जाँच के समय इन्हें अनिवार्यताः जमा करना होगा।

(xxiv) आयोग को अपरिहार्य कारणों से परीक्षा के कार्यक्रम में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

ह०/–
परीक्षा नियंत्रक।

परिशिष्ट (I)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 7/जा.नि. –19–11/2008 का.–5682 दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार

प्रपत्र–I

....

(कार्यालय का नाम)
जाति प्रमाण–पत्र
(सभी कार्यों के लिये)

संख्या–................................. तिथिः–............................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री .... निवासी, ग्राम/कस्बा/मोहल्ला .... डाकघर........................... थाना .... जिला .... राज्य.............................. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति' श्रेणी के अन्तर्गत................................... जाति/उप जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड राज्य के लिये अनुसूचित जाति'/अनुसूचित जनजाति' के रूप में मान्यता प्राप्त है।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.............................. एवं/अथवा उनका/उनकी परिवार साधारणतः गांव/कस्बा.................................., शहर.............................., जिला..........................., राज्य....................में निवास करते हैं।

स्थान :– सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नाम ....

दिनांक :– पदनाम ....

(कार्यालय की मुहर)

(नोटः– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा–23 एवं 24 के अन्तर्गत 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जनजाति) संशोधन आदेश 1950
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

———————

परिशिष्ट (II)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 7/जाति–19–11/2008 का.–10007 दिनांक 29 अगस्त, 2012 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

प्रपत्र–II

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत कया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री .... ग्राम/शहर .... थाना .... जिला .... झारखण्ड के रहने वाले/की रहने वाली हैं, जो झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001'ए' की धारा–2 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त .... समुदाय से आते/आती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–3482 दिनांक– 10.06.2002 द्वारा अंगीकृत कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या–36012/22/93–स्था0 (एस.सी.टी.) दिनांक– 08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ–3 में उल्लिखित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं हैं।

स्थान :–

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नाम ....

दिनांक :–

पदनाम ....
(कार्यालय की मुहर)

(नोटः– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में अंकित जातियाँ/उप जातियाँ।
2. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा–2 में सन्निहित अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची, जो संकल्प संख्या–3885, दिनांक 05.11.2001, 801 दिनांक 11.02.2003, 3436 दिनांक 28.06.2004, 6337 दिनांक 08.12.2004, 6374 दिनांक 11. 12.2004, 368 दिनांक 19.01.2006, 2759 दिनांक 01.06.2006, 3706 दिनांक 15.07.2006, 4447 दिनांक 24.08.2006, 5182 दिनांक 26.09.2006, 1604 दिनांक 28.03.2007, 243 दिनांक 11.01.2008, 5108 दिनांक 23.09.2008, 4450 दिनांक 01.08.2001, 5826 दिनांक 19.09.2011, 697 दिनांक 26.09.2011, 6580 दिनांक 20.10.2011, 8060 दिनांक 17.12.2011 एवं 144 दिनांक 06.01.2012, 2855 दिनांक 27.03.2012 एवं समय–समय पर यथा संशोधित।

परिशिष्ट (III)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 14/स्थानीयता.नीति–14–03/2016 का.–4650 दिनांक– 02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

(अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा दिनांक– 02.06.2016 अथवा इसके बाद के तिथि में निर्गत झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

झारखण्ड सरकार

....

(कार्यालय का नाम)

झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं0 :– दिनांक :–

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पिता/पति श्री.. पता–ग्राम/वार्ड/शहर.. पो0.....................................थाना.................................... जिला...................................... के स्थानीय निवासी हैं और यह प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–3198 दिनांक– 18.04.2016 की कंडिका– .... में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत किया गया है। प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के स्थानीय निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान :–

दिनांक :–

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम

परिशिष्ट–IV

पत्र–2 का पाठ्यक्रम

हिन्दी (HINDI)

भाग–1 हिन्दी भाषा का विकास और स्थिति

1. हिन्दी भाषा का विकास– प्रारंभिक हिन्दी, हिंदवी/हिंदुई, खड़ी बोली का साहित्यक भाषा के रूप में विकास।
2. आधुनिक युग में हिन्दी भाषा का विकास– फोर्ट विलियम कॉलेज, हिन्दी पत्रकारिता, भारतेन्दु युग, द्विवेदी युग।
3. भारत संघ की भाषा के रूप में हिन्दी का विकास– संविधान में हिन्दी, राजभाषा , राष्ट्रभाषा और सम्पर्क भाषा, अतंरराष्ट्रीय भाषा के रूप में हिन्दी।
4. हिन्दी भाषा का प्रामाणिक और तकनीकी विस्तार –हिन्दी भाषा का आधुनिकीकरण, प्रद्योगिकीकरण और मानकीकरण, प्रयोजनमूलक हिन्दी।
5. हिन्दी की सहयोगी भाषाएँ और इनका पारस्परिक संबंध।
6. झारखण्ड की भाषाओं और बोलियों का सामान्य परिचय।

भाग – 2 हिन्दी साहित्य का इतिहास

1. हिन्दी साहित्य के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियाँ और रचनाएँ।
2. आधुनिक हिन्दी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ – छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नयी कविता, अकविता आदि और प्रमुख कवि।
3. आधुनिक हिन्दी कथा साहित्य की प्रमुख विधाएँ– उपन्यास, कहानी का विकास और प्रमुख रचनाकार।
4. हिन्दी में रंगमंच और नाटक – एकांकी का संक्षिप्त इतिहास।
5. हिन्दी में जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रावृत निबंध, रिपोर्ताज आदि का विकास और स्थिति।
6. हिन्दी समालोचना का विकास और हिन्दी के प्रमुख समालोचक।
7. झारखण्ड के हिन्दी साहित्य का सामान्य परिचय।

भाग –3 हिन्दी व्याकरण

1. भाषा, संज्ञा, सर्वनाम क्रिया, विशेषण, काल, लिंग, वचन, कारक, सन्धि, समास,उपसर्ग, प्रत्यय मुहावरे, लोकोक्ति।

English

Part - I

1. Developments of Indian Writing in English (Poetry, Novel, Short Story, Non-Fictional Prose, Drama and Literary Criticism) from 1830 to Present Day.
2. **Grammar** : Agreement of Subject and Verb Noun and Verb, Forms of Verbs, Sequence of Tenses; Voice Narration, Transformation, Phrases, Clauses, The Use of Modifiers, Prepositions, Infinitives, Gerunds, The Most Common Mistakes in English Usage etc.
3. Letters and Applications of the following types: Official with various Government Departments, Job Application, Business correspondence between Organization and Consumers, Memorandum Memos, E-mail writing, Advertisements and Reports.
4. Comprehension of standard prose Passage.

Part-II

***1.* Poetry**

(i) **William Shakespeare** :-

a. From fairest, creature we desire increase.

b. Look in the glass.

c. As fast as thou shall wane, so faster thou growest.

d. When I do count the clock that tells the time.

(ii) **John Donne** :

a. A Hymn to God the Father

b. Go and Catch a falling Star

(iii) **George Herbert** :

a. The Pulley

b. Virtue

(iv) **William Wordsworth** :

a. The Solitary Reaper

b. Three Years She Grew

(v) **John Keats :**

a. Ode to Autumn

b. Ode to a Nightingale

(vi) **T.S Eliot:**

a. Gerontion

b. Ash- Wednesday

2. **Novel:**

i. Earnest Hemingway : For Whom The Bell Tolls

ii. Arundhati Roy : The God of Small Things

3. **Drama:**

i. William Shakespeare : Hamlet

ii. George Bemard Shaw : Man and superman

Books Recommended:

1. Indian Writing in English - K.R. Srinivasa lyengar

2. History of English Literature - Legouis

3. The Encyclopedia of Business Letters, Fax, Memos & E-mail - Robert W. Bly (Master Mind Books Publication)

4. A Practical English Grammar - Martinet & Thomson

URDU
Part -I
Urdu Poetry & Linguistic
Group-A

1. **Ghazlal**

Text:

(i) Nahaq ham majburon per………..

(ii) Faqeerana aaye sada kar chale…….

(iii) Yeh na thi Hamai Qismat………….

(iv) Ibn-e- Meriam Huwa kare……. Mirza Asadullah Khan Ghalib

(v) Sun to sahi jahan men tera Fasaana kiya

(vi) Sufion ko wajad men lata hai naghma-e-saazka kharaja Haider Ali Aatish

Topics: Ghazal ka Fan, Meer, aur Ghalib, Aatish ki shaeri ki khususiat, Urdu shairi Men un ka Maqam, unki Azmat ki Buniyaden, Shanuit-e NASHB Ashaar ki Tashreeh, unki zindagi ke haalaat.

2. **Nazmen**

Text

(i) Muflisi

(ii) Banjara Nama- Wali Mohammad Nazeer

(iii) Tarana-e-Hindi

(iv) Masjid-e-QartubaMasjid- Mohammed Iqbal-

(v) Badali ka chand

(vi) Kisaan - Josh Malihabadi

Topics : Nazm ka fan, nazir aur Iqbal ki shaeri di khususiyat, Urdu Shaeri men ka moqam, Nazir ki awami aur Hindustani sheari, Iqbal ki watni aur mili shaeri, Shamil-e-Nasab un ki nazon ki tashreeh.

Part –II

Urdu Fiction & Grammar

Group-A

3.Noval

(i) Umra-o-Jaan-e-ada- Mirza Hadi Ruswa

(ii) Fire Area- Ilyas Ahamd Gaddi

Topics: Novel ka Fan, Shamil-e-Nasab Novelon ka Taruf Kirda, un ka Moqam.

(Group B)

4. Afsana

(1) Haj-e-Akbar - Prem Chand

(2) Maha Lakshmi ka Pul - Krishna Chander

(3) Lajwanti - Rajinder Singh Bedi

(4) Toba Tek Singh - Saadat Hasan Manto

(5) Lukshman Rekha - Manzar Kazmi

Topics: Afsana ka Fan, Shamil Nesab Afsano ka Taruf unke Markazi Kirdar, Urdu Afsanon men Afsana Nigaronke Halat-e- Zindagi

(Group C)

5. Grammar

(1) Gender - (Jins) Tazkeer, Tanis -

(2) Opposite (Motazad)

(3) Muhawarat

(4) Meaning of Urdu Words.

(5) Singular, Purular (Wahid aur Jama)

(संथाली)

<u>प्रथम खण्ड (पद्य भाग)</u>

(क) प्राचीन संथाली पद्य साहित्य–

1. लोक साहित्य की परिभाषा, व्याप्ति, स्वरूप एवं महत्व।
2. लोक गीतों का उद्भव एवं विकास –डहर गीत,बाहा गीत, दांसाय गीत, दांसाय गीत, करमा गीत सोहराय्‌गीत, लाँगड़े गीत, विवाह गीत आदि।

(ख) आधुनिक संथाली पद्य साहित्य :–

3. संथाली काव्य साहित्य का उद्भव एवं विकास।
4. काव्य साहित्य के तत्व एवं साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन।
5. संथाली कवियों की जीवनी एवं कृत्ति – पं. रघुनाथ मुरमू नारायण सोरेन तोड़े सुताम, भागवत मुरमू ठाकुर, डमन हाँसदाः, रघुनाथ टुडू, केवल राम सोरेन, बलराम टुडू, साकला सोरेन, हरिहर हाँसदाः श्याम चरण हेम्ब्रम।

(ग) संथाली मुहावरे, कहावतें, लोकोक्ति, छंद रस, अलंकार कुदुम आदि।

<u>पाठ्यपुस्तकें,</u>

(क)

1. सांनताड़ी होड़ साँवहेंत – डॉ कृश्ण चन्द्र टुडू
2. होर सेरेञ – (पाठांश– बाहा सेरेञ) पं. रघुनाथ मुरमू।
3. बाहा सेरेञ– (पाठांश– सभी पाठ) प्रो. बलराम टुडू।
4. दोड. सेरेञ – (पाठांश–1 से 100 पृश्ठ तक) पद्म श्री भागवत मुरमू ठाकुर।
5. सोरोस सेरेञ – (पाठांश– 1 लांगड़े सेरञ, गोलवारी सेरञ) बाबूलाल मुरमू आदिवासी।

6. संथालीप लोकगीतों का संग्रह –प्रो. हरिहर हाँसदाः एवं श्री बीरबल हेम्ब्रम।

(ख)

1. संथालीप गद्य–पद्य संग्रह (पाठांश केवल पद्य भाग) – प्रो. दिगम्बर हाँसदाः एवं प्रो. कृष्ण चन्द्र टुडू।
2. संथालीप पद्य संग्रह– प्रो. कृष्ण चन्द्र टुडू।
3. तिरी भाग–2 (पाठांश–1 से 20 पाठ तक) प्रो. हरिहर हाँसदाः
4. संथाली साहित्य (पाठांश आरजी, बाडे.म हूडिजा, उदभाव, गोसोबाहा, गेलमोंड़े अगस्त, विनोवा भावे, रोहोड़ सारजोम)– सं0 शेत चरण हाँसदाः एवं डॉ डोमन साहू समीर।
5. ओनेड़हें सेरेञ बिंडा – प्रो. कृश्ण चन्द्र टुडू।

(ग)

1. सहज संथालीप शिक्षा (पाठांश –संथालीप भेनता काथाको) नुनकू सोरेन।
2. प्रवेशिका संथालीप व्याकारण (पाठांश– मुहावरे एवं लोकोक्ति) सनातन हाँसदाः।
3. सानताड़ी पारसी उनुरूम (पाठांश– केवल पंचम् अध्याय) – प्रो. कृश्ण चन्द्र टुडू।
4. रोनेड़ – पं. रघुनाथ मुरमू।

(संथाली)

द्वितीय खण्ड (गद्य भाग)

(क) प्राचीन संथाली गद्य साहित्य–

1. संथाली लोक कथा एवं लोक कहानी का अर्थ एवं प्रकार । जाति कथा, प्रतीक कथा, देव कथा, गोत्र कथा, परीकथा, वीरगाथा तथा धर्म गाथा।
2. संथाली पौराणिक मिथ, तत्वशास्त्रीय मिथ, आनुश्ठानिक मिथ, सामाजिक मिथ तथा आख्यान मिथ।

आधुनिक संथाली गद्य साहित्य।

1. कहानी, उपन्यास, नाटक तथा पत्र पत्रिकाओं के तत्व एवं विभिन्न विधाओं से संबंधित साहित्य विवेचनात्मक अध्ययन।
2. संथाली गद्य साहित्य का उद्भव एवं विकास।
3. संथाली लेखकों की जीवनी एवं कृति– बाबूलाल मुरमू आदिवासी, बासुदेव बेसरा, कृष्ण चन्द्र टुडू , भयाम बेसरा, दिगम्बर हाँसदाः, सोभानाथ बेसरा, कलेन्द्रनाथ मानडी, माँझी रामदास टुडू रसिका।

व्याकरण

1. संथालीभाषा की व्याकरणिक विशेशताएँ संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, पुरूष, कारक, विशेषण, क्रिया, काल, प्रत्यय, सजीव एवं निर्जीव आदि।

पाठ्य पुस्तकें –

(क) 1. खेरवाल बोंस/ धरम पुथी (पाठांश– सभी पाठ) रामदास टुडु रासिका।

2. मारे हापड़ाम को रेयाः काथा – (पाठांश– आद खोद मानव रेयाः बिबारेन छाटयार, बापला सेनेट) खे. पी. ओ बोडिंग।
3. होड़ कहानी को – (पाठांश– 1 से 15 पाठ तक) खे. पी. ओ. बोडिंग।
4. संथालीप लोक कथाओं का संग्रह (पाठांश– सभी पाठ) प्रो. दिगम्बर हाँसदा।

(ख)

1. मायाजाल (पाठांश– डुगु , दिबीसाड़ी, सुप्डी साल, ओहोञ साहाव केया, पुनया कुकली)– स. डॉ. डोमन साहू समीर. भागवत मुरमू ठाकुर, केवल राम सोरेन एवं लक्ष्मीनारायण मुर्मू।
2. संथालीप क़थनी और गाथनी (पाठांश– केवल गद्य भाग) स. डॉ डोमन साहू समीर, पद्मश्री भागवत मुरमू ठाकुर।
3. ञुत आर मारसाल (पाठांश–1,2,4,11,12) आदित्य मित्र संथालीप।
4. सिरजोन गायान (पाठांश– सभी पाठ) डॉ. कृश्ण चन्द्र टुडू।

(ग)

1. सुबोध संथालीप शिक्षक – पद्मश्री भागवत मुरमू ठाकुर।
2. संथालीप प्रवेशिका भाग–1– डॉ. डोमन साहू समीर।
3. संथालीप स्वंय शिक्षक– 1– डॉ. डोमन साहू समीर।
4. सानताड़ी पारसी उनुरूम– डॉ. कृश्ण चन्द्र टूडू।
5. रोनोड़ – पं. रघुनाथ मुरमू।

BENGLA
PART-1

1. Poetry
   a. Sanartari - Rabindranath
      Sonartari, jete Neha debo -Parash Pathar.
   b. Chaturdaspadi kabitabali - Madhusudan Dutta
      Bangavasa. Kasiramdas; Kapothanad; jasher Nandir; kabi
2. Drama
   Chandragupta - D.L. Roy
3. Aehalayatan - Rabindranath Tagore
4. Grammar
   a. Amplification
   b. Comperhension of unknown passage
   c. Idioms
   d. Sadhu and Chalit Bhasa

Part -2

1. Novel
   Dena Pawna - Sarat Chandra Chatterjee

2. Short stories
   Prabhat kumarer Choto Galp - Ed. S.K. Chatterjee & C.R Laha Devi, Kashibashini; Pranyar Parinam; Phuler Mandir; Rasmayir Rasikta; Matrihin
3. Essays

a. Muchiram Gurer Jiban Charit - Bankim Chandra Chatterjee
b. Sankalan - Rabindranath Tagore (Shri Khhar Milan, Purba 'o' Pasehim, Bharat Barser, Itihas)

Kekadhani; Paneroma; Nababarsha

4. Grammar
   a. Sandhi
   b. Karak
   c. Samas
   d. Samochcharit Bhinnarthak Shabda
   e. Bipritarthak Shabda
   f. Pada Parivartan

ODIA SYLLABUS

GROUP-A

1.**Objective questions may be selected from the following books:-**

I. 'Rasakallola'- Sri Dinakrushna Das (Chapters-1,2,3,4,5,33 &34)
II. 'Tapaswini' – Sri Gangadhar Meher.
III. 'Kara Kabita' – Pandit Gopabandhu Dash

2. a) Objective questions to be setfrom Sarala Yuga (era) with special reference to Sarala Das.
   b) Objective questions to be set from Panchasakha Yuga (era) with special reference to Srimad Bhgawata of Jagannatha Das.
   c) Objective questions to be set from Reeti Yuga (era)with special reference to Upendra Bhanja.
   d) Objective questions to be set from Adhunika Yuga (era) with special reference to Romantic views of Radha Nath Ray.
   e) Objective questions to be set from Satyabadi Yuga (era)with special reference to Satyabadi Sahitya.
   f) Objective questions of Prose to be set from the Prose literature with reference to Shilalekha and Tambapata Sananda.
   g) Objective questions will be set with reference to the Prose literatures of Narayana Nanda Abadhuta Swami and Brajanatha Badajena .
   h) Objective questions may be set from the Odia Natya Sahitya (Odia Dramas).
   i) Objective questions may be set with reference to Odia Upanyasa Sahitya mainly based on Odia novels of Fakir Mohan Senapati.
   j) Objective questions may be set from Odia Kshudra Galpa - (Short Stories) mainly based on Short Stories of Fakir Mohan Senapati.

GROUP-B

Objective question from Odia Grammar :-

a) Objective questions may be set from the followingAlankaras (simile) Upama, Rupaka, Anuprasa, Jamaka, Utprekshya, Bibhabana, Bisheshokti & Birodhabhasa .

b) Objective questions may be set from the following Chhandas(Metre) - Chokhi, Bangalashree, Chakrakeli, Basanta, Kalahansa Kedar, Sangamatiary, Ashadhashukla & Rasakulya.

c) Objective questions may be set from Krudanta, Taddhita, Sandhi & Samas.

Books for Reference:-

a) "Alankara Tarangini" – Sri Kulamani Kavyatirtha.

b) "Jatipaata" - Sri Balabhadra Bahidar

c) "Sarbasara Vyakarana" – Sri Sridhara Das

हो भाषा–साहित्य

खण्ड 'क'

1. वारङ क्षिति लिपि और वर्ण–विचार

2. व्याकरण– संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग, कारक, काल, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, समानार्थी शब्द, विलोमार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द।

खण्ड 'ख'

हो लोक साहित्य

1. लोकगीत (क) उत्सव गीत – मगे, ब्ह, हेरोः, जोमनमा, दसंय।

(ख) संस्कार गीत – जोनोम, आणांदि गोनोःए।

(ग) खेल गीत

2. लोककथा (क) पर्व–त्यौहार – मगे,ब्ह, बबा हेरमूट, हेरोः, बताउलि, जोमनमा।

(ख) मिथ, लीजेण्ड, परीकथा, पशु–पक्षी की कथा एवं अन्य कथाएँ।

3. प्रकीर्ण साहित्य – मुहावरे, कहावते, पहेली।

खण्ड 'ग'

हो शिष्ट साहित्य

1. पद्य साहित्य – हो गीत, हो कविता।

2. गद्य साहित्य – कहानी, उपन्यास, नाटक।

3. हो साहित्यकार एवं उनकी कृतियॉ।

सहायक ग्रंथ

1. हो बाकणा – लाके बोदरा

2. हो ग्रामर – फादर डीनी एस0 जे0

3. हो भाषा से संबंधित व्याकरण की सभी पुस्तकें

4. ब्ह बूरु वोङगा बूरु, भाग– 1,2 – लको बोदरा

5. हो दिसुन हो होनको, भाग – 2,5,7, – धनुर सिंह पुरती

6. षार होरा, भाग – 1,5 – लको बोदरा

7. दिसुम रुमुल – डॉ0 सोनेया कुमार तियु

8. हो लोक कथाः एक अनुशीलन – डॉ0 आदित्य प्रसाद सिन्हा

9. हो भाषा और साहित्य का इतिहास – डॉ0 आदित्य प्रसाद सिन्हा

10. हो कुड़ि – डॉ0 जानुम सिंह सोय

11. होरेलासि – तिलक बारी

12. पोवसि – तिलक बारी

13. सुड़ा संगेन – हो टेक्स्ट बुक कमिटि, राँची

14. सिंहभूम के शहीद लड़ाका 'हो' – डॉ0 दययन्ती सिंकु

15. स्मारिका एवं विभिन्न पत्र–पत्रिकाएँ

16. झारखण्ड आंदोलन का दस्तावेज शोषण, संघर्ष एवं शहादत– अनुज कुमार सिन्हा

17. कोल्हान एवं पोड़ाहाट में मानकी–मुण्डा शासन व्यवस्था एवं भूमिका– धनश्याम गागराई

18. विल्किसन रुल –BIRSA

19. कोल रुल – लको बोदरा

20. झारखण्ड एनसाइक्लोपीडिया Vol 1-4

मुण्डारी भाषा साहित्य

खंड–क/हानटिड0– 'मिआद'

व्याकरण :–

I. मेता (संज्ञा)

II. नड0मेता (सर्वनाम)

III. गमनड0 (विशेषण)

IV. जाति (लिंग)

V. साकाम (वचन)

VI. गनलाड0 (कारक)

VII. बेड़ा (काल)

VIII. उदाम (क्रिया)

IX. गनातिड0 (प्रत्यय)

X. टुड0 मेनेसा (समास)

XI. सांगि टुड0कोरेआः एसेकार टुड0 (अनेक शब्दों का एक शब्द)

XII. उलटा ओरोतो टुडन्को (विपरीतार्थक शब्द)

XIII. सुपुतुःआकान टुड0 को (सहचर शब्द)

खंड–ख / हानाटिड0– 'बारिआ'

1. आनायुम साइति (लोक साहित्य)

I. सासांकिर ओड़ोः दुराड0 को (संस्कार एवं गीत)

II. नेंग पोरोब रेआः दुराड0 को (उत्सव गीत)

III. कामिउदाय रेआः दुराड0 को (श्रम गीत)

IV. सा–रेआः दुराड0 को (ऋतु गीत)

V. होन कोआः दुराड0 को (बाल गीत)

2. आनायुम कांनि (लोक कथा)

I. द्योरोम रेआः कांनिको (र्लथ–धार्मिक कथाएं)

II. एतेहाइसि कांनिको (लीजेण्ड–ऐतिहासिक कहानियां)

III. सोबेन कांनिको (सभी कहानियां)

IV. परिकोआः कांनिको (परीकथाएं)

V. जनोवर ओड़ोः चेड़े कोआः कांनि को (पशु पक्षी की कहानियाँ)

खंड–ग / हानाटिड0– आपिआ

नावा साइतिको (शिष्ट साहित्य)

I. गामइदि साइति (पद्य साहित्य)

II. गाःइदि साइति (गद्य सहित्य)

(क) कांनि।

(ख) उपन्यास।

(ग) चालिता इनुड0 / नाटक।

खंड–घ / हानाटिड0– उपुनिआ

होड़ो जागार साइतिओड़ोः साइति ओनोल कोआः अनुरुम (परिचय)।

मुण्डारी भाषा साहित्य

खण्ड–'क' हानाटिड0 'मिआद'

व्याकरण :–

सहायक ग्रंथ :–

I. मुण्डारी व्याकरण– ले0 डॉ0 रामदयाल मुण्डा

II. नवा होड़ोजगर मुंडि–ले0 डॉ0 मनसिद्ध बड़ायउद।

III. बायंकिर–ले0 निकोदीम केरकेट्टा।

खण्ड–'ख' हानाटिड0 'बारिआ'

व्याकरण :–

सहायक ग्रंथ :–

I. मुण्डा दुराड0– सं0 डब्ल्यू0 जी0 अर्चर।

II. बांसुरी बज रही है – सं0 जगदीश त्रिगुणायत।

III. आनायुम दुराड0 – प्र0 कल्याण विभाग, झारखण्ड जनजातीय कल्यााण शोध संस्थान, राँची।

IV. मुण्डा लोक कथाएं – सं0 जगदीश त्रिगुणायत।

V. दाड़ांजमाकान होड़ो कांनिको – सं0 भइयाराम मुण्डा।

VI. मुण्डा कोआः सोना काजिको – सं0 ले0 डयनसिद्ध बड़ायऊद।

VII. हड़ाम कोआः कजिको–सं0 पी0 पोनेट, एस0जे0।

शिष्ट साहित्य :–

सहायक ग्रन्थः–

I. सेलेद – ले0 डॉ0 रामदयाल मुण्डा।

II. हिसिर – सं0 डॉ0 रामदयाल मुण्डा।

III. बुदु बाबु और उनकी रचनाएं – सं0 डॉ0 रामदयाल मुण्डा।

IV. सासाड0 बा – ले0 काशीनाथ सिंह मुण्डा 'काण्डे'।

V. बायबारु– ले0 प्रो0 दुलायचन्द्र मुण्डा।

VI. एंआ नावा कांनि – ले0 डॉ0 रामदयाल मुण्डा।

VII. मुण्डारी पाठ – ले0 डॉ0 रामदयाल मुण्डा।

VIII. मथुराः कांनि (प्रथम भाग), ले0 मेनास राम ओड़ेया।

IX. मथुराः कांनि (द्वितीय भाग) ले0 मेनास राम ओड़ेया।

X. गुइराम – ले0 काशीनाथ सिंह मुण्डा 'काण्डे'।

XI. होड़ो ससांकिर बामबारु – ले0 एस0 ए0 बी0 डी0 हंस।

XII. होड़ो जगर गअःइदि – गमुइदिजमा – सं0 – डॉ0 मनसिद्ध बड़ायऊद।

कुँडुख (उराँव) भाषा साहित्य

खण्ड (क)

व्याकरण – संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग वचन, कारक, काल, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, विपरीतार्थक– समानार्थक शब्द

खण्ड (ख)

लोक साहित्य

1. लोग गीत – संस्कार गीत, उत्सव गीत, श्रमगीत
2. लोक कथा – मिथ, लीजेण्ड, कथाएँ, परी कथा, पशु–पक्षी की कथा
3. मुहावरे
4. कहावते
5. पहेली

खण्ड (ग)

शिष्ट साहित्य

1. पद्य साहित्य
2. गद्य साहित्य – कहानी उपन्यास, नाटक
3. साहित्य एवं साहित्यकारों का नाम

सहायक ग्रंथ :–

1. लील खोर'आ खेखेल – डब्ल्यू0 जी0 आर्चय एवं धर्मदास लकड़ा
2. कुँडुख लोक साहित्य – कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार
3. कुँडुख कत्भपण्डी – पीयुष लकड़ा
4. मुन्ता पूँप झुम्पा – दवले कुजूर
5. इन्नेलन्ता – इग्नेस कुजूर
6. इन्नेलन्ता एड़पा उरुबनी – निर्मल मिन्ज
7. कुँडुख कत्थ बिल्ली – पी0 सी0 बेक
8. कुँडुख सइहा – अह्लाद तिर्की
9. कुँडुख कत्थअइन – महाबीर एव चौठी उराँव
10. दव बिल्ली – बसन्ती कुमारी कुजूर

'खड़िया भाषा–साहित्य'

खण्ड 'क'

खड़िया व्याकरण – संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन कारक, काल, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, विपरीतार्थक, समानार्थक शब्द, आदि से वस्तुनिष्ठ प्रश्न –

पाठय पुस्तक – 1. खड़िया व्याकरण – डा0 आर0 पी0 साहू
2. खड़िया व्याकरण एवं संक्षिप्त शब्द कोष फा0 पौलुसः कुल्लू
3. खड़िया ध्वनि शास्व – जुलयुस वा'

खण्ड 'ख'

बाइर साहित्य – (लोक सहित्य)

1. बाइर आलेक (लोक गीत) – खड़िया इतिहास से संबंधित गीत, संस्कार गीत, ऋतु गीत (मौसम) प्रकृतिगीत, पर्व–त्योहार सम्बधी गीत, प्रेम गीत, जीवन दर्शन के संबधित गीत, विविध गीत आदि से संबंधित वस्तुनिष्ठ एवं लधु प्रश्न –

पाठय पुस्तक

1. खड़िया आलोड़– डब्ल्यू जी0 आर्चर
2.खड़िया आलोड़– जी0 ई0 एल चार्च।

2. बाइर कमनेइत (लोक कथा) – धर्म गाथा (मिथ), अवदान (लीजेण्ड) कथाएँ, परीकथा पशु–पक्षी की कथा से संबधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न –

पाठय पुस्तक

1. खड़िया लोक कथाओं का साहित्यक एवं संस्कृतिक अध्यन – डॉ0 रोज केरकेट्टा
2. खड़िया नंदनी – पां0 तुदगास केरकेट्टा

3. मुहावेर, कहावते, पहेली –

पाठय पुस्तक

1. खड़िया आलोड़– डब्ल्यू जी0 आर्चर

खण्ड 'ग'

तोनमे सहित्य (शिष्ठ साहित्य)

1. पद्य सहित्य – कविता, गीत आदि से वस्तुनिष्ठ प्रश्न –

पाठय पुस्तक

1. खड़िया गद्य – पद्य संग्रह – खड़िया पाठयक्रम निर्माण समिति, राँची
2. खड़िया गद्य – पद्य संग्रह – डा0 रोज केरकेट्टा
3. सिङकोय सुलों – डा0 रोज केरकेट्टा
4. बुधियां सिनकोम – मेरी एस0 सोरंग

2. गद्य सहित्य – कहानी, उपद्वास, नाटक आदि से वस्तुनिष्ठ प्रश्न –

पाठय पुस्तक

1. खड़िया गद्य – पद्य संग्रह – खड़िया पाठयक्रम निर्माण समिति राँची
2. खड़िया गद्य – पद्य संग्रह – डा0 रोज केरकेट्टा
3. सिङकोय सुलों – डा0 रोज केरकेट्टा
4. बुधियां सिनकोम – मेरी एस0 सोरंग
5. लोदरो सोमधी – प्यारा केरकेट्टा

नाटक

1. जुझेइर डोङ – प्यारा केरकेट्टा

2. बेड़ो मुंसिङकी – प्यारा केरकेट्टा

3. सौंङ खोड़ी – डा0 अनिल विरेद्व कुल्लू

4. खड़िया निबंध – प्यारा केरकेट्टा

खोरठा भाषा एवं साहित्य

खण्ड 'क'

खोरठा व्याकरण :– संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, क्रिया, उपर्सग, प्रत्पय, समास, विपरीतार्थक,, समानार्थक शब्द आदि से वस्तुनिष्ठ प्रश्न–

पाठयपुस्तक :– (1) खोरठा सहित सदानिक बेपाकरन – ले0 डॉ0 ए0 के0 झा

(2) खोरठा भाषा एवं साहित्य (उद्‌भव एवं विकास) ले0 डॉ0 बी0 एन0 ओहदार

खण्ड 'ख'

लोक साहित्य

(1) लोक गीत :– संस्कारगीत, ऋतु गीत (मौसम), प्रकृतिगीत, पर्व–त्योहार सम्बंधी गीत, श्रम गीत, सहियारी (मित्रता) गीत, विविध गीत आदि से वस्तुनिष्ठ प्रश्न –

पाठ्य पुस्तक :– (1) एक टोकी फूल (तितकी) खोरठा लोकगीत संगरह, प्रकाशक :– खोरठा ढ़ाकी छेतरी समिति, कोठार, रामगढ़।

(2) खोरठा लोक साहित्य :– सं0 शिवनाथ प्रमाणिक

2. लोक कथा :– धर्मकथा (मिथ), अवदान (लीजेण्ड), कथाएँ, परीकथा, पशु–पक्षी की कथा से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रश्न –

पाठय पुस्तक :– 1. खोरठा लोक कथा – प्रकाशक – बोकारो खोरठा कमिटी, बोकरो

2. खोरठा लोक साहित्य – ले0 डॉ0 भोला नाथ महतो

3. मुहावेर, कहावतें, पहेलियाँ आदि से वस्तुनिष्ठा प्रश्न –

पाठय पुस्तक :– खोरठा प्रकीर्ण साहित्य :– डॉ0 कुमुद कला मेहता एवं श्याम सुन्दर महतो

खण्ड 'ग'

शिष्ट साहित्य

1.शिष्ट साहित्य – पद्य साहित्य :– कविता, काव्य, खण्ड काव्य आदि निर्धारित पाठय पुस्तको से वस्तुनिष्ठ प्रश्न–

पाठय पुस्तक :1. खोरठा गद्‌द–पद्य संगरह– प्रकाशक–बोकारो खोरठा कमिटी, बोकारो

2. रूसल पुटूस – सं0 शिवनाथ प्रमाणिक

3. दामुदरेक कोराम (खण्ड काइब)– शिवनाथ प्रमाणिक

2. गद्य साहित्य :– कहानी, उपन्यास, नाटक–खोरठा के निर्धारित पाठ्यपुस्तकों से वस्तुनिष्ठ प्रश्न–

पाठय पुस्तक :–1.सोंध–माटी – ले0 – डॉ0 विनोद कुमार

2. भगजोगनी (उपन्यास)– विश्वनाथ दसौंधी 'राज'

3. डाह (नाटक)– ले0 सुकुमार

3. साहित्य एवं साहित्यकारों का नाम :– निर्धारित पाठ्यपुस्तकों से वस्तुनिष्ठ प्रश्न–

साहित्यकार – श्री निवास पानुरी, डॉ0 ए0के0झा, विश्वनाथ दसौंधी 'राज', शिवनाथ प्रमाणिक, श्यामसुन्दर महतो, 'श्याम', डॉ0 विनोद कुमार, डॉ0 बी0एन0 ओहदार, कुमारी शशि, दिनेश दिनमणि।

निर्धारित पाठ्यपुस्तक :– 1. खोरठा गद्द–पइद संग्रह– प्रकाशक–बोकारो खोरठा कमिटी, बोकारो

2. खोरठा शिष्ट साहित्य एक अध्ययन – डॉ0 अर्चना कुमारी

कुरमाली भाषा– सहित्य

खण्ड 'क'

व्याकरण

संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, क्रिया, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, विरीतार्थक शब्द, अनार्थक शब्द, समानर्थक शब्द।

खण्ड 'ख'

लोकसाहित्य

1. लोकगीत :– बिहागीत, डमकच, उद्यवा गीत, ढप गीत, डाँइड़धरा (पांता गीत), करम, एढ़ेइया, बाँदना (सोहराई), खेलगीत, बालगीत, (छवा भुला गीत)।
2. लोककथा :– व्रत संबंधी कथा, अनुष्ठान संबंधी कथा, हास्य–व्यंग्यपूर्ण कथा, अलौकिक तत्त्वों से युक्त कथा, पशु–पक्षी की कथा, सामाजिक कथा, बुझौवल कथा, लोका पर आधारित लोक कथा, नीति कथा, परी कथा, लीजेंड, मिथ।
3. कुरमाली के लोक नाट्यः डमकच, छौनृत्य, नटुआ, माछानी।
4. मुहावरे
5. लोकोक्तियाँ
6. पहेली

खण्ड 'ग'

शिष्ट साहित्य

1. पद्य साहित्य
2. गद्य साहित्यः– कहानी, उपन्यास, नाटक
3. कुरमाली के साहित्यकार और उनकी कृतियाँः– सामान्य परिचय

कुरमाली भाषा– सहित्य

संदर्भग्रंथ

खण्ड 'क' (व्याकरण): (1) कुरमाली बेइआकरन– श्याम सुन्दर महतो 'सामदा'

(2) कुर्माली माखिक इतिहास, स चिस– खुदी राम महतो

खण्ड 'ख' (लोकसाहित्य):

1. लोकगीत :– (1) कुरमाली लोक साहित्य – डॉ0 संतोष कुमारी जैन

(2) कुरमाली लोक साहित्य – प्र.झारखण्ड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची

(3) कुरमाली लोक सहित्य : विश्लेषणात्मक अध्ययन – डॉ0 गीता कुमारी सिंह

2. लोक कथा :– (1) कुरमाली लोक कथाएँ – सं0 डॉ0 एच0 एन0 सिंह

(2) कुरमाली लोक कथाओं की कथानक रुढ़ियाँः एक अनुशीलन – डॉ0 एच0 एन0 सिंह

3. **लोक नाट्य** :–(1) कुरमाली लोक साहित्य– प्र0 झारखण्ड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची

(2) कुरमाली सहित्यः विविध संदर्भ – डॉ0 एच0 एन0 सिंह

4. **मुहावरे** :– (1) कुरमाली मुहावरा आर आइना – सं0–डॉ0 एच0 एन0 सिंह एवं बिजराज महतो

(2) कुड़मालि छितराल साहित – डॉ0 वृन्दावन महतो

5. **लोकोक्रियाँ** :– (1) कुरमाली मुहावरो और आइना – सं0–डॉ0 एच0 एन0 सिंह एवं बिजराज महतो

(2) कुड़मालि छितराल साहित – डॉ0 वृन्दावन महतो

खण्ड 'ग' (पद्य साहित्य) :–

(1) सपन–आपन – अनत्त महतो 'केसरिआर'

(2) फुसंग – केशव चन्द्र महतो 'टिड़आर'

(3) महीपाल – सं0 डॉ0 एच0 एन0 सिंह

(4) कुरमाली लोकगीत – सं0 डॉ0 संतोष कुमारी जैन

(5) सृष्टिधरेक गीत – सं0 डॉ0 एच0 एन0 सिंह

(गद्य साहित्य) :– (1) कुरमालि कोहनी जुड़ती – सं0 चन्द्र मोहन महतो

(2) गाँधीक जय (उपन्यास) – सुरेन्द्र नाथ महतो

(3) केरिआ बहु (नाटक) – कालिपदो महतो

(4) एहे इहरे – डॉ0 एच0 एन0 सिंह

खण्ड 'घ' कुरमाली साहित्यकार और उनकी कृतियाँः– सामान्य परिचय

Nagpuri

खण्ड 'क'

व्याकरण– सज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, विपरीतार्थक–समानार्थक शब्द।

खण्ड 'ख'

लोक साहित्य–

1. लोकगीत– संस्कार गीत, उत्सव गीत, बालगीत, प्रकृति गीत
2. लोककथा– मिथ–लिजेण्ड, राजा–रानी की कथा, परी कथा, पशु–पक्षी की कथा
3. मुहावरे
4. कहावते
5. पहेली

खण्ड 'ग'

शिष्ट साहित्य

1. पद्य साहित्य– गीत–कविता

2. गद्य साहित्य– कहानी, उपन्यास, नाटक

3. साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ

<u>नागपुरी भाषा हेतु संदर्भ</u>

खण्ड–क :– नागपुरी व्याकरण
1. नागपुरी व्याकरण – पं0 योगेन्द्रनाथ तिवारी
2. नागपुरी सदानी व्याकरण– शकुन्तला मिश्र, डॉ0 उमेश चन्द्र तिवारी

खण्ड–ख :– नागपुरी लोक साहित्य
1. नागपुरी लोक साहित्य – डॉ0 भुवनेश्वर 'अनुज'
2. नागपुरी लोकगीत वृहद् संग्रह– डॉ0 वी पी केशरी
3. नागपुरी लोकगीतों की छंद रचना– डॉ0 कुमारी वासंती
4. नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस– डॉ0 वी पी केशरी
5. नागपुरी काव्य में प्रकृति चित्रण– डॉ0 त्रिवेणी नाथ साहू
6. अंगना (नागपुरी समाज कर लोककथा संकलन)– डॉ0 गिरिधारी राम गौंझु, शकुन्तला मिश्र

खण्ड–ग :– नागपुरी शिष्ट साहित्य
1. नागपुरी भाषाः उद्‌गम और विकास – डॉ0 वी पी केशरी
2. नागपुरी कवि और कव्य– डॉ0 वी पी केशरी
3. स्वातंत्रोतर नागपुरी साहित्य– डॉ0 राम प्रसाद
4. नागपुरी कर साहित्यिक निबन्धः– विद्योतमा निधि ज्ञानोत्तम निधि

<u>Pachpargania</u>

खण्ड 'क'

पंचपरगनिया व्याकरण :–सज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, क्रिया, शब्द, शब्द रचना, वाक्य, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, क्रिया विशेषण, विपरीतार्थक–समानार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्द के बदले एक शब्द, वाच्य, अंलकार।

खण्ड 'ख'

पंचपरगनिया लोक साहित्य :–

1. लोकगीत – (क) संस्कार गीत

(ख) उत्सव गीत

(ग) श्रम गीत

(घ) बाल गीत

(ड0) खेल गीत

2. लोक कथा :–

I. मिथ कथा

II. लीजेण्ड कथा

III. परीकथा

IV. पशु–पक्षी से संबंधित कथा

3. मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पहेलियाँ

खण्ड 'ग'

पंचपरगनिया शिष्ट साहित्य :–

I. पद्य साहित्य – कविता, गीत

II. गद्य साहित्य – कहानी, नाटक, उपन्यास

III. पंचपरगनिया साहित्य एवं साहित्यकारों का नाम एवं कृतियाँ।

संदर्भ ग्रंथ

पंचपरगनिया व्याकरण :–

1. आदर्श पंचपरगनिया व्याकरण :– डॉ0 करम चन्द अहीर

पंचपरगनिया लोक साहित्य से संबंधित पुस्तके :–

I. पंचपरगनिया लोक कहानी – प्रो0 परमानन्द महतो

II. पुस पीठा – प्रो0 परमानन्द महतो

III. पंचपरगनिया आधुनिक कहानी – संतोष साहू प्रीतम

IV. मेसा कोसा – प्रो0 दीनबन्धु महतो

V. पंचपरगनिया नूपूर – जयोतिलाल महादानी

VI. पंचपरगनिया लोकगीत – प्रो0 परमानन्द महतो, प्रो0 दीनबन्धु महतो

VII. पंचपरगनिया लोक कथा – प्रो0 परमानन्द महतो, प्रो0 दीनबन्धु महतो

VIII. पंचपरगनिया गद्य–पद्य जहड़न – डॉ0 चन्द्रमोहन महतो

IX. गइदेक भिनु–भिनु डाइर – प्रो0 दीनबन्धु महतो

X. जुलुभ नाटक – सृष्टिधर महतो (समीर)

XI. पंचपरगनिया गीत, बन्दना आर कविता– डॉ0 करमचन्द अहीर

XII. पंचपरगनिया टुसू संगीत – डॉ0 करम चन्द अहीर

संस्कृतम्

प्रथमः खण्डः

(संस्कृतसाहित्यम् संस्कृतसाहित्येतिहासश्च)

(अ) पाठ्यगन्था :—

(क) शिशुपालवधम् (प्रथमोसर्गः)

(ख) किरातार्जुनीयम् (प्रथमोसर्गः)

(ग) मेघदूतम् (पूर्वमेघः)

(घ) अभिज्ञानशाकुन्तलम् (चतुर्थोङ्कः)

(आ) संस्कृतसाहित्येतिहासः

(क) रामायणम्

(ख) महाभारतम्

(ग) महाकाव्यसाहित्यम्

(घ) नाट्यसाहित्यम्

(ङ) गद्यसाहित्यम्

द्वितीयः खण्डः

(भाषाज्ञानम् व्याकरणञ्च)

(अ) लघुसिद्धान्तकौमुद्यनुसारम्—

(क) सन्धिः

(ख) समासः

(ग) कारकम्

(आ) शब्दरूपाणि — बालकः, लता, नदी, फलम्, मतिः, अस्मद्, युष्मद्

(इ) धातुरूपाणि — लट्—लृट्—लोट्—लङ्—विधिलिङ्लकारेषु

—पठ्, पा, दृश, अस,, कृ, दा, श्रु, ग्रह्, हन्, सेव्

(ई) प्रत्ययाः — क्त्वा, ल्यप्, तुमुन्, क्त, क्तवतु, शतृ, शानच्

(उ) अशुद्धिसंशोघनम्

टिप्पणी—सर्वेषां प्रश्नानां चत्वारि उत्तराणि भविष्यन्ति, तेषु एकं सर्वशुद्धं चेतव्यं भविष्यति।

पत्र–3 का पाठ्यक्रम

(क) सामान्य अध्ययनः–

इसमें प्रश्न का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन–प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सम–सामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल–खिलाड़ी, महत्त्वपूर्ण घटनाएँ। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षिय योजना। झारखण्ड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी।

(ख) सामान्य विज्ञानः–

सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन–प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे। जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

(ग) सामान्य गणितः–

इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक/10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे।

(घ) मानसिक क्षमता जाँचः–

इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनो प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं – सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि।

(ङ) झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान

झारखण्ड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता संस्कृति, भाषा–साहित्य, स्थान, खान खनिज, उधोग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखण्ड का योगदान, विकास योजनाऐं, खेल–खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियाँ, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि।

(च) कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञानः–

इसमें कम्प्यूटर के विभिन्न उपकरणों, एम॰एस॰ विन्डो ऑपरेटिंग सिस्टम, एम॰एस॰ ऑफिस एवं इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।